ستمبر ۲۰۰۵ء

ماہنامہ

شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی
قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَ کِتَابٌ مُبِیْنٌ
بیشک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور روشن کتاب

مؤسسۂ نور ہدایت حسینیۂ غفران مآبؒ لکھنؤ-۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd. No. SSP/LW/NP-75/2005-07

Monthly

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका
लखनऊ

NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk
LUCKNOW-3 (U.P.) INDIA
Phone : 2252230

वर्ष–2

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd No-SSP/LW/NP-75/2005-07

अंक 3

माह सितम्बर 2005 लखनऊ

नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन की
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

शुआ-ए-अमल
"लखनऊ"

वार्षिक – 200 रु

मिलने का पता

क़ीमत – 20 रु

नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन
इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड
चौक लखनऊ – 3 (उ.प्र.) भारत फोन न0 0522–2252230

सै. कल्बे जवाद प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपरइटर ने मासिक शुआ–ए–अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ–3 से प्रकाशित किया।

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

अक़वाले इमामे हसन अलैहिस्सलाम

- खुश अख़लाक़ बनो ताकि क़यामत के दिन तुम पर रहम की जाए।
- हमेशा नेक बात कहो ताकि नेकी से याद किए जाओ।
- गुनाहों से बचो क्योंकि गुनाह इन्सान को नेकियों से महरूम कर देता है।
- नादानों (बेवकूफ) की बातों का बेहतरीन जवाब ख़ामोशी है।
- तेज़ चलने से मोमिन का वक़ार कम होता है और बाज़ार में चलते हुए खाना पस्ती की अलामत है।
- जितना मिले उस पर ख़ुश रहना इन्सान को पाकदामनी की तरफ ले जाता है।
- गुनाह कुबूलियते दुआ में मानेअ (रुकावट) और बद अख़लाक़ी शर व फसाद की वजह है।

हज़रत इमाम हसने मुजतबा (अ0)

सैय्यदुल उलमा मौलाना सै0 अली नक़ी नक़वी (ताबा सराह)

विलादतः 15 रमज़ान 2 या 3 हिजरी
वफातः 28 सफर 50 हिजरी

इमामे हसन मुजतबा (अ0) की विलादत 2 हिजरी या 3 हिजरी में हुई। रसूल (स0) की वफात के वक़्त सातवाँ या आठवाँ साल था और उनकी यह उम्र पूरी पैग़म्बरे ख़ुदा (स0) के गज़वात की उम्र है। 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई और इसके बाद उनकी उम्र के साथ गज़वात की फेहरिस्त आगे बढ़ी। जिस तरह अली (अ0) की परवरिश पैग़म्बर की गोद में तबलीग़े इस्लाम के साथ वैसे ही हसने मुजतबा (अ0) की परवरिश रसूल की गोद में रसूल (स0) के गज़वात और अपने वालिद (हज़रत अली–ए–मुर्तज़ा अ0) के फतूहात के साथ। इनके बचपन की कहानियाँ और सोते वक़्त की लोरियाँ गोया यही थीं कि अली (अ0) किसी जिहाद से वापस आए हैं। हज़रत फातमा ज़हरा (अ0) से तज़केरह हो रहा है ख़न्दक़ में यह हुआ। यह तज़केरे कानों में पड़ रहे हैं और आँखें जो देख रही हैं वह यह कि दुश्मनों के ख़ून में भरी हुई तलवार है और सय्यिद–ए–आलम (स0) उसे साफ कर रही हैं। पैग़म्बर (स0) के इरशादात भी कानों में गूँज रहे हैं कभी मालूम हुआ कि आज नाना ने वालिदे बुजुर्गवार के लिये कहा :

"ज़रबतु अलिय्यिन यौमल ख़न्दक़िन अफ़ज़लु मिन इबादतिस्सक़लैन" कभी सुना कि फरमाया : "लऊतयन्नर्राअ्यतन ग़दन रजुलन कर्रारन ग़ैरे फरारिन युहिब्बुल्लाहा व रसूलहू" कभी मलक की सदा कानों में पड़ती : "ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुलफिक़ार" इन तज़किरों के अलावा बस है तो इबादत और सख़ावत की मिसालों का मुशाहेदा। यह है सात आठ साल का हसन (अ0) का रसूल (स0) की ज़िन्दगी में दौरे हयात।

सात आठ साल की उम्र के बच्चे चाहे मामलात में अमली हिस्सा न लें और अदब व हिफ्ज़े मरातिब की बिना पर बुज़ुर्गों के सामने गुफ्तगू में भी शिरकत न करें मगर वह एहसासात व तास्सुरात, जज़्बात और क़ल्बी वारदात में बिलकुल बुज़ुर्गों के साथ शरीक रहते हैं और उनके दिलों के अन्दर वलवलों का तूफान भी उठता है। और मन्सूबों की इमारतें भी खड़ी होती हैं और उस वक़्त के तास्सुरात व तसव्वुरात के निशान इतने गहरे होते हैं कि वह मिटा नहीं करते।

यक़ीनन यह इतना ज़िन्दगी का दौर इमामे हसन (अ0) के दिल व दिमाग़ में आम इन्सानी फितरत के लिहाज़ से वलवला व हिम्मत की लहरों में तमुव्वुज ही पैदा करने वाला था सुकून पैदा करने वाला नहीं मगर इस सात आठ साल के बाद एकदम वरक़ उलटता है अब यह मन्ज़र सामने है कि बाप गोशानशीन है और माँ गिरया करने वाली है। वह तमाम नागवार हालात सामने हैं जिनका इज़हार किसी के लिए पसन्दीदा है या नापसन्द। मगर तारीख़ के अन्दर वह मौजूद और हमेशा के लिए महफूज़ हैं यक़ीनन अगर हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) का दस साल की उम्र के बाद 13 साल रसूल (स0) के साथ रहकर

मक्का की ख़ामोश ज़िन्दगी में ख़ामोशी के रास्ते पर क़ाएम रहना एक जिहादे नफ्स था तो हसने मुजतबा (अ0) का भी 8 साल की उम्र के बाद पच्चीस साल बाप के सब्र व इस्तेक़लाल के साथ जुड़े रहना उनका अज़ीम जिहाद था वहाँ अली(अ0) के सामने उनके मुरब्बी रसूल (स0) के जिस्म पर पत्थर फेंके जाते थे और वह ख़ामोश थे और यहाँ हसन (अ0) के सामने उनके बाप अली बिन अबी तालिब (अ0) के गले में रस्सी बाँधी जाती है और मादरे ग्रामी के दरवाज़े पर आग लगाने के लिए लकड़ियाँ जमा की जाती हैं और उन्हें हर तरह की तकलीफें पहुँचायी जाती हैं और हसने मुजतबा (अ0) ख़ामोश हैं इसी ख़ामोशी में 8 साल से 18 साल और 18 साल से 28 साल बल्कि सात आठ साल की उम्र के बाद 25 साल में तेंतीस साल के हुए मगर वह जिस तरह सात आठ साल के बचपन के दौर में हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) के साथ एक कम उम्र बच्चे की तरह थे बिलकुल उसी शान से 18 और 28 और तीस बत्तीस साल के जवान होकर भी हैं। मसलक है तो बाप का, तरीक़–ए–कार है तो बाप का, न इनके बचपन में कोई नादानी का क़दम उठता है न जवानी में कोई जोश का इक़दाम होता है फिर हज़रत अली (अ0) ने ख़ामोशी के माहोल में आँख खोली थी और इमामे हसन (अ0) तो आठ साल की उम्र इस जंग के माहोल में गुज़ार चुके थे जिससे बहादुरी के इक़दामात को तबीअत में रस–बस जाना चाहिए इसके बाद 25 साल इस तरह गुज़ार रहे हैं। इतनी तूलानी मुद्दत के अन्दर कभी जोश में न आना। अपने हमउम्रों से कभी झगड़ा न होना, किसी दफा भी ऐसी कोई बात न होना जो मस्लहते अली (अ0) के ख़िलाफ हो। यह उनकी ज़िन्दगी का कारनामा है। यह और बात है कि तारीख़ की धुंधली निगाह हरकत को देखती है सुकून को नहीं, आँधियों को देखती है सन्नाटे को नहीं, तूफान की आवाज़ को देखती है समन्दर के सुकून पर नज़र नहीं डालती। इसी का नतीजा है कि इस दौर के फतूहात जो अक्सरियती ताक़त ने किए तारीख़ का हिस्सा बन गये और इस्लाम की जो ख़िदमत ख़ामोश रहकर की गयी और उसके जो नतीजे हुए वह तारीख़ में कहीं नज़र न आएंगे बहर हाल अब यह 25 साल गुज़रे और वह वक़्त आया जब हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) हुकूमत में हैं इसके बाद जमल, सिफ्फीन और नहरवान की जंगें हैं और हज़रत इमामे हसन (अ0) उनमें अपने वालिदे बुज़ुर्गवार हैदरे कर्रार के साथ–साथ हैं।

हसन (अ0) के हाथ में जंगे जमल की लड़ाई में तलवार उसी तरह पहली बार है जिस तरह बद्र में अली (अ0) के हाथ में पहली बार। मगर जैसे उन्होंने पहली ही लड़ाई में बड़े बहादुरों पर अपनी बड़ाई साबित कर दी वैसे ही जमल में जो कारनामा दूसरों से नहीं होता वह हसने मुजतबा (अ0) अपनी तलवार से करके दिखा देते हैं।

इसी तरह सिफ्फीन में ऐसा मेयारी नमूना पेश करते हैं कि हज़रत अमीर (अ0) अपने बेटे मुहम्मद हनफिया के लिए इसे मिसाल क़रार देते हैं और जैसा कि दिनयवी ने ''अलअख़बारुत्तिवाल'' में लिखा है कि एक ऐसे मौक़े पर जब लश्करे अमीरुलमोमिनीन के एक बड़े हिस्से ने शिकस्त खायी थी, यह अपने बाप के सामने इस तरह थे कि उन्हें तीरों से बचा रहे थे और ख़ुद अपने को तीरों के सामने पेश किए देते थे।

मुख़ालिफ हुकूमत का प्रोपगन्डा भी क्या

चीज़ है! उसने हिकायतें लिखीं हैं कि हसन मुजतबा (अ0) तो मिज़ाज से सुलह पसन्द थे। मगर उनकी बेजिगरी के साथ इन नबरद आज़माइयों में अमली शिरकत इन तसव्वुरात को ग़लत साबित कर देती है।

जंगे जमल में कूफा वालों को अबुमूसा अशअरी ने जो वहाँ हाकिम थे नुसरते अमीरुलमोमिनीन से रोक दिया था। यह हसने मुजतबा (अ0) ही थे जिन्होंने जाकर तक़रीर की और पूरे कूफे को जनाबे अमीर (अ0) की नुसरत के लिए आमादा कर दिया।

हाँ जब सिफ्फीन में नेज़ों पर कुर्आन उठाए गए और अमीरुलमोमिनीन ने हालात से मजबूर होकर मुआहेद–ए–तहकीम पर दस्तख़त किए तो जवान साल बेटे हसन व हुसैन (अ0) दोनों बाप के साथ इस मुआहेदे में भी शरीक थे बिलकुल जिस तरह हज़रत अमीर (अ0) पैग़म्बरे ख़ुदा (स0) के साथ–साथ जंग और सुलह दोनों में। इसी तरह हसन व हुसैन (अ0) अपने वालिदे बुज़ुर्गवार के साथ हर मन्ज़िल में शरीक नज़र आते हैं।

जब 21 रमज़ान 40 हिजरी को जनाबे अमीर (अ0) की वफात हो गयी और हज़रत इमाम हसन (अ0) ख़लीफा तसलीम किए गए तो आप ने खुद भी हाकिमे शाम के ख़िलाफ फौजकशी की। और फौजों को लेकर रवाना भी हुए और इस तरह भी साबित कर दिया कि रास्ता आपका वही है जो आपके वालिदे बुज़ुर्गवार का रास्ता था।

अब इसके बाद जो कुछ हुआ वह हालात की तबदीली का नतीजा था। वाक़ेआ यह है कि अह्ले कूफा की अक्सरियत जंगे नहरवान के बाद से जनाबे अमीर (अ0) के साथ ही सर्दमोहरी बरतने लगी थी और जंग से आजिज़ आ चुकी थी जिस पर ख़ुद हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) के अक़वाल जो नह्जुल बलाग़ा में मज़कूर हैं, गवाह हैं इसका इल्म हाकिमे शाम को भी अपने आदमियों के ज़रिये से हो गया था चुनानचे हज़रत अमीर (अ0) के बाद उन्होंने अपने आदमियों के ज़रिये से बहुत से रोसा–ए–कूफा को अपने साथ मिला लिया और उन लोगों ने ख़त भेजे कि आप इराक़ पर हमला कीजिए और हम यहाँ ऐसी तदबीर करेंगे कि हज़रत इमाम हसन (अ0) को क़ैद करके आपके हवाले कर देंगे।

मुआविया ने यह ख़त उसी तरह हज़रत इमामे हसन (अ0) के पास भेज दिये। फिर भी वह जानते थे कि हज़रत इमामे हसन (अ0) कोई ऐसी सुलह कभी न करेंगे जिसमें उनके नुक़त–ए–नज़र से हक़ की हिफाज़त न हो। इसलिए उन्होंने इसके साथ एक सादा काग़ज़ भेज दिया कि जो शर्तें आप चाहें इस पर लिख दें मैं उन्हें मन्ज़ूर करने के लिए तैयार हूँ। इन हालात में जबकि अपनों का हाल वह था और मुख़ालिफ यह अन्दाज़ इख़्तियार कर रहा था जंग पर क़ाएम रहना एक बिला वजह की ज़िद होती जो आले रसूल (स0) की शान के ख़िलाफ थी।

हज़रत पैग़म्बरे ख़ुदा (स0) ने तो हुदैबिया में अमन व अमान की ख़ातिर मुशरिकीन की पेश की हुई शर्तों पर सुलह की जिसे सतही निगाह वाले मुसलमान समझ रहे थे कि यह दब कर सुलह है और हज़रत इमामे हसन (अ0) ने जो सुलह की वह उन शर्तों पर जो ख़ुद आपने पेश कीं और जिन्हें मुख़ालिफ फरीक़ से मन्ज़ूर कराया।

ज़रा इस सुलह नामे की शर्तों पर नज़र डालिये। इसकी मुकम्मल इबारत अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने ''सवाएक़े मुहर्रिक़ा में दर्ज की है।

इसमें पहली शर्त यह है कि हाकिमे शाम किताब व सुन्नत पर अमल करेंगे इस शर्त को मन्जूर कराके हज़रत इमामे हसन (अ0) ने वह उसूली फतह हासिल की है जो जंग से हासिल होना मुमकिन न थी।

ज़ाहिर है कि सुलह नामे की शर्तों में बुनियादी तौर पर ऐसी ही चीज़ दर्ज होती है जो झगड़े की बुनियाद हो। हज़रत इमामे हसन (अ0) ने यह शर्त लगाकर साबित कर दिया कि हमारे झगड़े की जड़ मुआविया से कोई ज़ाती या ख़ानदानी नहीं बल्कि वह सिर्फ यह है कि हम किताब और सुन्नते रसूल (स0) पर अमल के तलबगार हैं और यह इससे अब तक मुनहरिफ रहे हैं। फिर सुलह नामे की दस्तावेज़ तो दोनों फरीक़ों के इत्तेफाक़ से हुआ करती है वह दोनों फरीक़ इसके कातिब होते हैं। यह शर्त दर्ज करके इमामे हसन (अ0) ने हाकिमे शाम से तसलीम करा लिया कि अब तक हुकूमते शाम का जो कुछ रवैय्या रहा है वह किताब व सुन्नत के ख़िलाफ है। अगर ऐसा न होता तो इस शर्त की क्या ज़रूरत थी?

नासमझ दुनिया कहती है कि इमामे हसन (अ0) ने बैअत कर ली। मैं कहता हूँ अगर हक़ीक़त पर ग़ौर कीजिये तो जब इमामे हसन (अ0) शरीअते इस्लाम की हिफाज़त करने वाले हैं और आप ने इसका इक़रार हासिल किया है कि हाकिमे शाम किताब व सुन्नत के मुताबिक़ अमल करेंगे तो अब यह फैसला आसान है कि जिसने शर्तें मानीं उसने बैअत की या जिसने शर्तें मनवायीं उसने बैअत की। हक़ीक़त में हज़रत इमामे हसन (अ0) ने तो बैअत ले ली, ख़ुद बैअत नहीं की।

दूसरी शर्त यह थी कि तुम्हें किसी को अपने बाद नामज़द करने का इख़्तियार न होगा इस तरह हज़रत इमामे हसन (अ0) ने बफ़र्ज़े मुख़ालफत पहली शर्त के उस नुक़सान को जो हाकिमे शाम की ज़ात से मज़हब को पहुँचता महदूद बनाया और आइन्दा के लिए यज़ीद जैसे लोगों का दरवाज़ा बन्द कर दिया।

हाकिमे शाम के पैरो ज़ियादा नुमाया तौर पर यह शर्त पेश करते हैं कि हज़रत इमामे हसन (अ0) ने सालाना एक रक़म मुक़र्रर की थी कि यह तुम्हें अदा करना होगी मैं कहता हूँ कि यह शर्त अगरचे साबित नहीं है फिर भी अगर यह शर्त रखी हो तो यह क़ानूनी हैसियत से अपने असली हक़दारे हुकूमत होने का एतराफ करने का फरीक़े मुख़ालिफ के अमल से क़ाएम रखना है और अगर ज़ियादा गहरी नज़र से देखा जाए तो हज़रत रसूले ख़ुदा (स0) का ईसाइयों से जिज़्या लेकर जंग को ख़त्म कर देना दुरुस्त है तो हज़रत इमामे हसन (अ0) का हाकिमे शाम पर सालाना एक टैक्स लगा देना भी बिलकुल सही है यह अमली मुज़ाहेरा है इसका कि हम ने दबकर सुलह नहीं की है बल्कि ख़ूँरेज़ी से बचने की मुमकिन कोशिश की है।

हज़रत इमामे हसन (अ0) को इस सुलह पर बाक़ी रहने में भी कितनी परेशानियाँ और ज़बानी ज़ख़्मों का मुक़ाबला करना पड़ा मगर दीनी फाएदे के लिए यह सुलह ज़रूरी थी तो पुरजिगरी के साथ हज़रत तमाम परेशानी और रुसवाई के सदमों को बर्दाश्त करते रहे। और दस साल बराबर फिर गोशानशीनी के साथ ज़िन्दगी गुज़ारकर हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) के 25 साल के दौरे गोशानशीनी का मुकम्मल नमूना पेश कर दिया।

उमवी ज़हनियत वालों का यह प्रोपगण्डा कि हसने मुजतबा (अ0) अपने वालिदे बुज़ुर्गवार हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) और अपने

(बक़िया पेज 14 पर)

रोज़ा और नफ्स की पाकी

इमादुल उलमा अल्लामा सै0 मुहम्मद रज़ी साहब ताबा सराह

हज़रत ईसा बिन मरयम अलैहिमस्सलाम का क़ौल है कि इन्सान के नफ्स की बुराइयाँ दूर करने और उसे पाक व पाकीज़ा बनाने के दो ज़रिए हैं एक रोज़ा दूसरे नमाज़। अगर पूरे ख़ुलूस और सच्चे दिल के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और उस पर पाबन्दी की जाए। इसी तरह पूरी शर्तों के साथ रोज़ा रखा जाए तो इन्सान का ज़मीर बुराइयों से पाक हो जाता है। नफ्स की इसी सफाई का नाम तक़वा और तज़किया है। इसी नफ्स की पाकी की अहम ज़रूरत की तरफ सूरए बक़रह की उस आयते करीमा में इशारा फरमाया गया है जो ''कुतिब अ़लैइकुमुस्सियाम'' के जुमले से शुरु होती है। यह बात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी इसका ताल्लुक़ तो आम रोज़े की ज़रूरत और फाएदे से था लेकिन माहे रमज़ान के रोज़ों में यह फाएदा ज़ियादा अहमियत के साथ सामने आता है इसलिए इसमें रोज़ों के एक–साथ होने की वजह से नफ्स की पाकी और सफाई का एक महीने तक बराबर मौक़ा मिलता रहता है यानी अगर एक रोज़ इस पाकी के मक़सद में कोई कमी रह जाती है तो दूसरे दिन या दूसरे दिनों में इसकी तकमील हो जाती है। मगर यह बात हमें पूरी तरह याद रखनी चाहिए कि सफाई और नफ्स की पाकी का फाएदा हमें इन ही रोज़ों से हासिल हो सकता है जो हक़ीक़ी रोज़े हैं और वह पूरी शर्तों के साथ रखे जाएँ क्योंकि सिर्फ फाक़ा कर लेने और भूखा और प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। हुज़ूर अनवर (स0) ने एक हदीस में फरमाया हैः

''मन सामा शह्रा रमज़ान फी इन्सातिन व सुकूतिन वकफ्फि समअिही व बसरिही व लिसानिही व यदिही व जवारिहिही मिनल हरामि वलकिज़्बि वलग़ीबति वलअज़ा क़रुबा मिनल्लाही जल्ला सनाउहू यौमल क़ियामति हत्ता यमस्सा रुकबतहु इब्राहीमा अलैहिस्सलाम''

जो शख़्स माहे रमज़ान में पूरे सुकून व एख़लास व वक़ार के साथ रोज़े रखे और अपने कानों, ज़बान और हाथों और तमाम बदन के हिस्सों को हराम बातों से, झूठ बोलने और किसी के पीठ पीछे बुराई करने और लोगों को तकलीफ पहुँचाने से बचा रहे, उसका मरतबा क़यामत के रोज़ बहुत बड़ा होगा। यहाँ तक कि वह हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बहुत नज़दीक हो जाएगा।

एक दूसरी हदीस में हुज़ूर (स0) ने फरमाया है : ''इज़ा सुम्त फल्यसुम सम्उका व बसरुका वला यकूनन्ना यौमु सौमिका कयौमि फितरिका''

जब रोज़ा रखो तो ज़रूरी है कि तुम्हारे कान और आँखें भी रोज़े से हों और तुम्हारे रोज़े का दिन ऐसा न हो जैसा वह दिन होता है जब तुम रोज़े से नहीं होते हो।

मक़सद यह है कि रोज़ा रखने वाले के

लिए ज़रूरी है कि रोज़ा उन शर्तों के साथ रखे जो शरीअत ने तय कर दी हैं और उन बातों को न करे जो मना हैं चाहे वह ऐसी हों जो हर हालत में मना हों या सिर्फ रोज़े की हालत में मना की गयी हों ताकि इससे नफ्स में ख़ुदा की इताअत का शौक़ जागे, अल्लाह से क़रीब होने की जुस्तजू का शौक़ दिल में उभरे और इन्सान का ज़मीर आम बुराइयों से पाक साफ हो सके। ग़रज़ रोज़ा नफ्स की सफाई का एक बड़ा असरदार ज़रिया है जिससे इन्सान अपनी नफ्सानी चाहतों को अक़्ल व शरीअत के ताबे बना सकता है, और ईमान व तक़्वे की उन अज़ीम खूबियों को पैदा कर सकता है जिनके बिना दुनिया और आख़रत में कामयाबी और नजात नहीं हो सकती जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम तज़किया–ए–नफ्स (दिल की सफाई) कहते हैं।

फितरे की अहमियत

फितरा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज़ है और अहादीस में इसे रोज़ों की कुबूलियत का ज़रिया क़रार दिया गया है। ज़काते फित्र 2 हिजरी में फर्ज़ की गयी थी जिसके बाद हमेशा के लिए इसका अदा करना हर मुसलमान पर शरअी क़वाएद और शर्तों के मुताबिक़ फर्ज़ हो गया है। हुज़ूरे अनवर (स0) ने ज़काते फितरा अदा करने की बहुत ताकीद फरमायी है और फरमाया है कि जो मुसलमान फितरा अदा करता है तो अल्लाह साल भर के लिए मौत को उससे दफा कर देता है। इसके साथ ही यह बात भी मालूम रहना चाहिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो शख़्स रोज़े रखे सिर्फ उसी पर फितरा अदा करना फर्ज़ हो और जो न रखे उस पर फर्ज़ न हो बल्कि यह हर मुसलमान पर फर्ज़ है चाहे उसने रोज़े रखे हों या न रखे हों। ज़काते फितरा को सदक़–ए–फित्र भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ज़कात या सदक़–ए–फित्र ख़ुद अपनी तरफ से और उन तमाम लोगों की तरफ से जो ज़ेरे किफालत व ज़ेरे परवरिश हों अदा करना होगा। इसका अदा करना उन लोगों पर फर्ज़ होता है जो शरअी इस्तेलाह में मोहताज न हों, बाज़ ने कहा कि वह ऐसे लोग हों जिनके पास उनके ज़रूरी ख़र्चों के सिवा इतना सामान मौजूद हो जिसकी मिक़दार निसाबे ज़कात के बराबर हो और कुछ उलमा कहते हैं कि इसके वुजूब में सिर्फ इतना ही काफी है कि साल भर के ख़र्च का सहारा मौजूद हो। शौव्वाल का चाँद होते ही ज़काते फित्र का अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है जिसने नमाज़े ईद से पहले अदा कर देना चाहिए। सरकारे दो आलम (स0) ने फरमाया है जिसका मफहूम यह है कि जिस शख़्स ने नमाज़े ईद से पहले फितरा अदा कर दिया उसका यह अमल दरज–ए–कुबूलियत हासिल करेगा।

फितरे की अहमियत के बहुत से पहलू हैं। इससे ग़रीब व नादार तबक़े के लोगों की बहुत सी हाजतें पूरी हो जाती हैं। और ख़ुद पैसे वालों के दिलों में ग़रीबों की तकलीफ और उनके दुख–दर्द का एहसास भी उभरता है और उन्हें इस बात का इल्म भी हो जाता है कि कौन–कौन लोग मदद लेने के हक़दार है इसके एलावा आपस में अमीरों, ग़रीबों और छोटे, बड़ों के दरमियान भाईचारगी व हमदर्दी और इस्लामी बिरादरी का जज़्बा सामने आता है साथ ही रोज़े में जो कमी हो गयी हो वह भी दूर हो जाती है। इस सिलसिले में यह भी मालूम होना चाहिए कि

जो लोग इस्तेलाहे शरीअत की बुनियाद पर फक़ीर व मोहताज कहे जाते हैं उनसे सदक़–ए–फ़ित्र की अदायगी साक़ित है लेकिन अगर वह किसी न किसी सूरत से इसको अदा कर दें तो उन्हें भी इसका सवाब ज़रूर हासिल होगा। रहा ज़काते फ़ित्र का मसरफ यानी यह किसको दी जाए तो जो आठ मसारिफ इस्लाम ने आम ज़काते माल के लिए मुक़र्रर किए हैं वही इसके भी मसारिफ हैं जिनका कुर्आन पाक में तफसील से ज़िक्र मौजूद है। इन आठ मसारिफ में ''फी सबीलिल्लाह'' का मसरफ भी है जिसमें वह तमाम बातें शामिल हैं जो तक़र्रुबे इलाही का सबब और वसीला बन सकें। यही तमाम मसारिफ ज़काते फ़ित्र के भी हैं अलबत्ता रिश्तेदार फक़ीर और मिसकीन हर हाल में मुक़द्दम हैं एक आदमी एक फितरा कई ज़रूरतमन्दों को भी थोड़ा–थोड़ा दे सकता है और इसकी कुल मिक़दार एक ही शख़्स को भी अदा कर सकता है और यह भी मुमकिन है कि कई आदमी अपने–अपने फितरे एक ही आदमी को दे दें मगर इस हद तक कि वह मोहताज शख़्स शरअन ''ग़नी'' (मालदार) न कहलाए और मोहताज की शरअी इस्तेलाह से ख़ारिज न हो जाए। क्योंकि इसके बाद फिर उसे फितरा देना जाएज़ न होगा। फितरे में ग़ल्ले के बजाए इसकी क़ीमत भी दी जा सकती है। जो लोग अयाल में दाख़िल हों और उनका ख़र्च वाजिब हो उन्हें फितरा नहीं दिया जा सकता। इसको मुलाज़मीन की तनख़्वाहों में हिसाब नहीं किया जा सकता। फिक़ए हनफी में सादात को ज़काते फ़ित्र नहीं दी जा सकती मगर फिक़ए जाफरी में अगर ज़काते फ़ित्र सादात की हो तो उसे सादात ले सकते हैं। ग़ैर सादात की ज़कात सादात नहीं पा सकते।

फिक़ए हनफी के मुताबिक़ एक शख़्स को एहतियातन दो सेर गेहूँ या आटा या इसकी क़ीमत अदा करना चाहिए इस गेहूँ या आटे से मुराद इसकी वह क़िस्म है जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाती हो।

मगर फिक़ए जाफरी में एक फितरे में एहतियातन साढ़े तीन सेर गेहूँ या आटा, या इसकी क़ीमत अदा करना चाहिए जो इसकी उस क़िस्म के रेट के मुताबिक़ हो जिसे आमतौर पर सब इस्तेमाल करते हैं।

अल्लाह हम सब मुसलमानों को अहकामे खुदावन्दी पर अमल करने की तौफीक़ अता फरमाए। (आमीन) □□□

''वमिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून''

(अज़्ज़ारियात आयत–49)

काएनात में 'शादी' करने का दस्तूर

हुज्जतुल इस्लाम हुसैन अन्सारियान
अनुवादक : मु0 र0 आबिद

पेड़–पौधों में 'शादी' का सिस्टम

पेड़–पौधों की ज़िन्दगी में जोड़े बनने और नस्ल बढ़ने और 'शादी' का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि जो हर देखने वाले को हैरत में डाल देता है यहाँ तक कि इस अहम मसले के हर पहलू की वज़ाहत और तफसीर की भी इजाज़त नहीं देता है। इस हैरत भरी हक़ीक़त को जो अपने साथ ताज्जुब वाले क़ानून, ग़ैरमामूली और बारीक तरीक़े और मख़सूस हालतें लिये हुए है, चन्द जुम्लों में आप के लिये पेश करते हैं।

अगर आपने फूलों के बारे में ग़ौर किया होगा तो देखा होगा कि उनके दरमियान में एक बारीक क़िस्म का फूल का ज़ीरा होता है और फूलों में उसकी मिक़दार मुख़तलिफ होती है मगर निज़ाम मख़सूस होता है उन फूल के ज़ीरों पर छोटा सा उभार होता है जिसका रंग पीला होता है इसको 'बिसाक' कहते हैं और बिसाक के दरमियान एक छोटी सी थैली होती है जिसमें चार ख़ाने होते हैं। इसमें कुछ दाने होते हैं, यह दाने बहुत ही बारीक होते हैं जो कि जानवरों के नुत्फे की तरह होते हैं।

जब इनमें पेवन्दकारी या गाभ का काम पूरा हो जाता है तो मादा फूल का बीज बन जाता है। यह दाने छोटे होने के बावजूद अपनी जगह मख़सूस वजूद रखते हैं यानी भूल–भुलैइंय्या क़िस्म की इमारत होती है जिसकी नज़ाकत बड़ी ही ताज्जुब वाली होती है और उनमें प्रोटोप्लास्म का माद्दा होता है। इसी तरह चर्बी, शकर एक क़िस्म का सत अज़ई होती है और उनके बीच में दो बीज होते हैं एक छोटा और दूसरा बड़ा। बडे बीज रोइन्दा, उगने वाला और छोटे को राईन्दा, पैदा करने वाला कहा जाता है। इन दोनों का क्या काम है यह आगे बयान होगा।

माद्दा वही हिस्सा है जो फूल के ऊपर होता है और इस उठे हुए हिस्से के ऊपरी हिस्से में होता है और इसकी सतह को लसदार माद्दा छुपाए रहता है। यही लसदार माद्दा नर के दानों को खींचता और महफ़ूज़ करता है और उन्हें उगाने में मदद करता है।

माद्दे के नीचे जो कि फूल के नीचे के हिस्से से मिला होता है एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको बीजदानी कहा जाता है। इसमें छोटे–छोटे बीज होते हैं जिनका का एक हिस्सा बीजदानी की दीवार से मिला होता है जिसके ज़रिये वह पानी और ख़ास ग़िज़ा लेता है। छोटे बीजों का भी अपना मख़सूस व क़ाबिले तारीफ वजूद होता है।

ज़िफ़ाफ का अमल

जब बिसाक की गर्द की थैली फट जाती है और यह गर्द जैसे ही कलालड माद्दे पर पड़ती है वेसे ही बढ़ोत्तरी शुरु हो जाती है। यहाँ इस बात का ज़िक्र कर देना ज़रूरी है कि कलाल–ए–माद्दा

तक इस गर्द के पहुँचने के मुख़तलिफ रास्ते हैं कि काएनात का गहरा मुताला (अध्यन्न/Study) करने वाले उन्हें देख कर हैरत में रह जाते हैं।

इन ही मुख़तलिफ ज़रियों में कीड़े–मकोड़े भी हैं जो समझ में न आने वाले तरीक़े पर इस ज़िन्दगी के फ़रीज़े को अन्जाम देते हैं यानी फूलों की मख़सूस रंग, बू और उनकी मिठास के सबब यह कीड़–मकोड़े उन पर जाकर बैठते हैं और यह अपने पैरों से इस गर्द को यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। यह काम ख़ास तौर से उन फूलों में जिनके नर व मादा अलग–अलग है और दो पायों पर टिका हुआ है, बहुत ही अहमियत रखता है।

हम कह चुके हैं कि जब गर्द के ज़र्रे कलाला पर पड़ जाते हैं और अक़्ल और बढ़ोत्तरी का सिलसिला शुरु हो जाता है तो बड़ा बीज जिसका ज़िक्र हो चुका है, भी इसके साथ बढ़ने लगता है और बीजदानी की तरफ झुकने लगता है और उसके क़रीब पहुँच कर ख़त्म हो जाता है, लेकिन छोटा बीज जो जनने वाला होता है वह इस बारीक नली से गुज़र कर बीजदानी में दाख़िल होता है और फिर उस छुपी और अन्धेरी जगह पर मिलने और जुड़ने का काम अन्जाम पाता है और फूल का नुत्फा पड़ता है और असली बीज वजूद में आता है।

आबो हवा (मौसम) और इन्सान के ज़रिये भी पेड़–पौधों के मेल और जोड़े बनने का काम अन्जाम पाता है। पेड़–पौधों की जिन्दगी की सतह जोड़े बनने के क़ानून की वही कैफियत है जो बेजान मिट्टी पत्थर के अन्दर है। खुदा के इरादे के तहत मेल और पैदाईश का काम बग़ैर किसी इख़्तेलाफ और झगड़े व 'तलाक़' के अन्जाम पाता है और इस तरह वह ज़िन्दा चीज़ों ख़ासकर इन्सान के लिये फल और अनाज व मेवे पैदा करता है।

जानवरों में 'शादी' और पैदाइश का निज़ाम

ज़िन्दगी का मज़ा लेने, नसल के बाक़ी रहने और उसकी ज़ियादती से मुहब्बत का जो हैरत भरा ताल्लुक़ जानवरों के नर व मादा के बीच देखने में आता है उसे बयान नहीं किया जा सकता। इस जानवरों की जान के इस मसले की तवज्जो और उनके दरमियान 'शादी' और मिलीजुली ज़िन्दगी का जो क़ानून और तरीक़ा है उससे हर ग़ौर करने वाला हैरत में पड़ जाता है।

घोंसला बनाने, राज़ छुपाने और जगह व वक़्त के चुनने और सबसे अहम एक साथ खाने के अमल, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने, उनके लालन–पालन और उन्हें ख़तरों और हादसों से बचाने के सिलसिले में नर व मादा एक दूसरे की जो मदद करते हैं वह उनकी ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है। हक़ीक़त में यह खुदा के इरादों की तजल्ली (ज्योति) है उसे हस्ती के अजाएब में शुमार करना चाहिये। अण्डा देने और दूध पिलाने वाले जानवरों का जो तरीक़ा जोड़े बनाने और अण्डों, और बच्चों की हिफाज़त का जो दस्तूर है उससे इन्सान दाँतों तले उंगली दबाए हुए है।

'शादी' और नस्ल बढ़ाने और औलाद फैलाने के जो क़ानून है, वह खुदाई है।

''मा मिन दाब्बति इल्ला हुवा आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम''

(ज़मीन पर रेंगने वालों में से हर एक की पेशानी उसी के क़ब्ज़े में है। मेरे परवरदिगार का रास्ता बिलकुल सीधा है।)

□□□

इस्लाम में बीवी और शौहर के हुकूक़

हुज्जतुल इस्लाम मोलाना मो0 सुहफी साहब
अनुवादक : क़ायम महदी नक़वी तज़हीब नगरौरी

अकेला मर्द एक नाक़िस वजूद है और इसी तरह अकेली औरत भी एक नाक़िस वजूद है। इनके नाक़िस होने की वजह यह है कि नसल को बाक़ी रखने और ज़िन्दगी की तश्कील में दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं।

शरअी और क़ानूनी शादी दोनों की कमियों को दूर करती है और इनके वजूद को सामने लाने का सबब बनती है। नसल के बाक़ी रखने के मसले के अलावह हर मर्द और औरत के लिए जिसमानी और रूहानी सेहत और ज़िन्दगी की नेअमतों को सही तौर पर समझने के लिए भी ख़ानदान की तशकील ज़रूरी है।

जो औरतें और मर्द अकेलेपन की ज़िन्दगी बसर करते हैं उन्हें ज़ियादातर जिस्मानी और नफसियाती तकलीफों में मुबतला होने का ख़तरा रहता है क्योंकि अगर जिन्सी ख़्वाहिशात को दबा दिया जाए तो इसका नतीजा वहशतनाक बीमारियों की सूरत में निकलता है और अगर वह आज़ाद और आवारा ऊँट की तरह हो जाएँ और ख़िलाफे शरअ तरीक़ों से इन ख़्वाहिशात को पूरा करें तो इसके ज़ियादा ख़तरनाक नतीजे सामने आते हैं।

शादी और ख़ानदान के तश्कील की ज़रूरी शर्तें पूरी करते हुए इन कामों को अन्जाम देना फितरत का फरमान और ख़िलक़त का ऐसा क़ानून है जिसकी मुख़लेफत से बड़ी संगीन सज़ा मिलती है। जो औरत और मर्द इस अहम काम को शादी के रिश्ते के ज़रिए अन्जाम दें उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते के ज़रिए उन पर जो फराएज़ और ज़िम्मेदारिया बनती हैं उनकी तरफ तवज्जो दें और ख़ुशहाल ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए अपने फराएज़ पर पूरा–पूरा अमल करें।

अपनी शादी की बुनियाद हवा व हवस और नफ्सानी ख़्वाहिशात पर न रखें और माल व दौलत या हुस्न व जमाल के लिए शादी न करें क्योंकि ऐसे रिश्ते कमज़ोर और ऐसी शादियाँ बेबुनियाद होती हैं। उन्हें चाहिए कि इस काम से जो अज़ीम मक़सद सामने होना चाहिए उसे न भूलें और काफी सोंच समझ कर और छान बीन करके अपने आने वाले जीवन साथी का चुनाव बाईमान, अक़लमन्द और लायक़ अफ़राद में से करें।

औरत और मर्द, औरत होने या मर्द होने कि बिना पर एक दूसरे पर कोई बरतरी नहीं रखते। दुनिया के पैदा करने वाले की नज़रों में दोनों इन्सान हैं और अपने–अपने हुकूक़ रखते हैं। अल्लाह तआला कुर्आन मजीद में फरमाता है:–

''ऐ लोगों! हमने तुम्हें मर्द और औरत (आदम और हौव्वा) की नस्ल से पैदा किया और तुम्हें गिरोहों और क़बीलों में बाँट दिया ताकि तुम एक–दूसरे को पहचान सको (लेकिन यह क़बीलों और गिरोहों का इख़्तेलाफ बड़ाई की निशानी नहीं है) बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़ियादा बाइज़्ज़त वही है जो ज़ियादा परहेज़गार हो।'' (सूर–ए–हुजरात आयत–13)

हर दूसरे निज़ाम की तरह घर की तरतीब व निज़ाम के लिए भी एक सरपरस्त और ज़िम्मेदार की ज़रूरत होती है क्योंकि हर वह तन्ज़ीम जिसमें कोई ज़िम्मेदार और जवाबदेह शख़्स न हो उसकी ख़राबी और बर्बादी एक यक़ीनी बात है।

अब यह देखना चाहिए कि इस तन्ज़ीम (यानि घर और ख़ानदान) की फलाह और कामयाबी

को सामने रखते हुए किसको ज़िम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाए, मर्द को, औरत को, या दोनों को?

बेशक मर्द और औरत दोनों के ज़िम्मेदार बन जाने से न सिर्फ यह कि मुश्किल हल नहीं हो सकती बल्कि परेशानी और बदनज़्मी में इज़ाफा होता है क्योंकि तजुर्बे से साबित हो चुका है कि किसी इदारे के दो ज़िम्मेदार होना कोई ज़िम्मेदार न होने से ज़ियादा नुक़सानदेह है और जिस ममलकत के दो मुस्तक़िल हुक्मराँ हों वह हमेशा बदनज़्मी का शिकार रहती है।

बदनज़्मी के एलावह अगर माँ और बाप में घर की ज़िम्मेदारी के सिलसिले में इख़्तेलाफ और कशमकश हो तो माहेरीने नफसियात के ख़याल के मुताबिक़ जो बच्चे ऐसे घर में तरबियत पाएँ वह रूहानी और जिसमानी पेचीदगियों और ख़लले दिमाग़ का शिकार हो जाते हैं।

ऊपर दी हुई मुश्किलात को सामने रखते हुए इस बात में कोई शक बाक़ी नहीं रहता कि घर और ख़ानदान के मामलों की ज़िम्मेदारी मर्द या औरत में से किसी एक के ज़िम्मे होनी चाहिए और इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपनी जिसमानी बनावट और ज़हनी रुजहान की बदौलत मर्द इस ज़िम्मेदारी से अलग होने का ज़ियादा अहल है।

माहिरीन और दानिश्मन्दों की तस्दीक़ के मुताबिक़ जहाँ तक जज़्बात का ताल्लुक़ है औरत को मर्द पर बरतरी हासिल है और सोंच विचार के मामले में मर्द ऊपर है और चूँकि इन्तिज़ामी मामलों के लिए अक़्ल और फ़िक्र की ज़ियादा ज़रूरत होती है लिहाज़ा अक़्ले सलीम यह हुक्म देती है कि ख़ानदान के चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द के कन्धों पर डाली जाए और ज़िम्मेदारी और सरपरस्ती का काम उसके ज़िम्मे किया जाए।

इस्लामी क़ानून की नज़र में भी फितरत का हुक्म यही है चुनानचे कुर्आने मजीद में इरशाद हुआ है:–

''उन खुसूसियात की बिना पर जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमायी हैं और उन माली ज़िम्मेदारियों की वजह से जो उन्होंने (अपनी बीवी के ख़र्च के सिलसिले में) कुबूल की हैं मर्द, औरत के ज़िम्मेदार हैं।'' (सूर–ए–निसा आयत–34)

अपनी बीवी की बनिस्बत मर्द की ज़िम्मेदारी दुनिया के तमाम मुल्कों में तसलीम की जाती है और औरतें भी इस सूरते हाल से ख़ुश हैं।

फ्रांस के जदीद क़ानून की दफा 213 के हिसाब से घर की ज़िम्मेदारी, इन्तिज़ाम और सरपरस्ती मर्द के ज़िम्मे हैं और दूसरी क़ौमों के क़ानूनों में भी क़ानून या रिवायत के मुताबिक़ यही सूरत है।

अल्लाह तआला ने ख़ानदानी मामलों के निज़ाम और ज़िम्मेदारी मर्द के ज़िम्मे की है और यह वज़ीफा उसे सौंप दिया है। मर्द को यह ज़िम्मेदारी देने की वजह यह है कि वह जिस्मानी लेहाज़ से ज़ियादा ताक़तवर है और सख़्त काम करने और अपने अहलो अयाल का बचाव करने का ज़ियादा अहल है।

जिस्मानी और रूहानी लिहाज़ से औरत की बनावट एक ख़ास बारीकी रखती है और उसके जज़्बात और एहसासात भी नाजुक होते हैं। इसके अलावह औरत अपनी माहाना कमज़ोरी के दिनों में, हमल के दौरान और बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत में न सिर्फ यह कि लामहदूद सरगर्मियों की ताक़त नहीं रखती बल्कि किसी दूसरी तरफ से सरपरस्ती और देखभाल की मोहताज होती है।

मर्द का अपने ख़ानदान का ज़िम्मेदार होने का मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों का मालिक है और वह उसके गुलाम हैं बल्कि इससे मुराद यह है कि मर्द ने ख़ानदान की माली मदद, ज़हनी परवरिश और जिसमानी हिफाज़त की जो ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं उनकी बिना पर वह ज़िम्मेदार कहला सकता है लेकिन इसके इख़्तियारात की

हदें अल्लाह तआला की तरफ से क़तई तौर पर मुतऐय्यन कर दी गयी हैं और उसे माक़ूलियत की हद से आगे बढ़ने से रोक दिया गया है।

यह बात भी ध्यान देने के क़ाबिल है कि इस्लाम ने मर्द को ख़ानदान के ज़िम्मेदार का रुतबा अता करते वक़्त औरत की इज़्ज़त की चाहत को नज़रअन्दाज़ नहीं किया और उसे घर के कामों का ज़िम्मेदार बनाया है।

रसूले अकरम (स0) ने इरशाद फरमाया हैः–

''हर इन्सान आज़ाद और अपने इरादे का मालिक है। मर्द को घर वालों के इन्तिज़ाम और औरत को घरदारी के मामलों में आज़ादी और इख़्तियार हासिल है।''

रसूल अकरम (स0) ने फरमाया है :–

''तुम सब अपने–अपने हिस्से के सरपरस्त और निगराँ हो और सभी अपनी–अपनी ज़िम्मेदारी के लिए जावब देने वाले हो। हाकिम और इमाम क़ौम के लिए जवाब देने वाला है, मर्द ख़ानदान के लिए जवाबे देने वाला है, औरत घर के कामों और औलाद के लिए जवाब देने वाली है और जो कोई जितना इख़्तियार रखता है उसके लिए जवाब देने वाला है और जो फराएज़ अल्लाह तआला ने उसके ज़िम्मे किये हैं उनके अन्जाम देने का ज़िम्मेदार है।'' (सहीह बुख़ारी जिल्द–3 बाबुन्निकाह)

इसके अलावह कुर्आने मजीद में मर्दों को खुले तौर पर याद दहानी करायी गयी है कि :–

''अपनी बीवियों से नेकी और मेहरबानी का सुलूक करो और ना इन्साफी और बदज़बानी से परहेज़ करो।'' (सूर–ए–निसा आयत–19)

□□□ **(जारी)**

(बक़िया इमाम हसने मुजतबा अ0 ...)

छोटे भाई हज़रत इमामे हुसैन (अ0) से अलग सोंच रखते थे और वह सुलह उनकी अकेली सोंच का नतीजा थी। ख़ुद उमवी हाकिमे शामी के अमल से भी ग़लत साबित हो जाता है इस तरह कि अगर यह बाद वाला प्रोपगण्डा सही होता तो इस सुलह करने के बाद हाकिमे शाम को हज़रत इमाम हसन (अ0) से बिलकुल मुतमइन हो जाना चाहिए था बल्कि हाकिमे शाम की तरफ से हक़ीक़त में फिर इमामे हसन (अ0) की क़द्र व मन्ज़िलत के मुसलमानों में बढ़ाने और नुमायाँ करने की कोशिश की जाती। बेशक जिस तरह मशहूर रिवायत की बुनियाद पर जनाबे अक़ील को हज़रत अली बिन अबी तालिब (अ0) से बज़ाहिर जुदा करने के बाद उनकी ख़ातिर दारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी थी। यही बल्कि इससे ज़ियादा हज़रत इमाम हसन (अ0) के साथ होता मगर ऐसा नहीं हुआ। सुलह करने के बाद भी इमामे हसन को आराम और चैन नहीं लेने दिया गया और आख़िरकार ज़हर देकर आपको शहीद कर दिया गया। इसी से ज़ाहिर है कि हाकिमे शाम भी जानते थे कि यह राय, मसलक, ख़याल और तबीअत किसी एतबार से भी अपने बाप, भाई से जुदा नहीं हैं। यह और बात है कि उस वक़्त इन्हें फ़र्ज़ का तक़ाज़ा यही महसूस हुआ लेकिन अगर मसलेहते दीनी में तबदीली हो तो यही कोई नया सिफ्फीन का माअरका फिर से लगा सकते थे और इन्हीं के हाथ से कर्बला भी सामने आ सकती थी इसीलिए इनकी ज़िन्दगी इस के बाद भी इनके सियासी मक़ासिद के लिए ख़तरा बनी रही और जब इनकी शहादत की ख़बर मिली तो उन्होंने चैन की साँस ही नहीं ली बल्कि अपने सियासी बर्दाश्त के दायरे से बाहर निकलकर एलानिया उन्होंने ख़ुशी से नार–ए–तकबीर बुलन्द किया। इससे साफ ज़ाहिर है कि हसने मुजतबा (अ0) की सुलह किसी ख़ास सोंच और तबीअत का नतीजा नहीं थी, वह सिर्फ फ़र्ज़ के उस एहसास का तक़ाज़ा थी जो इन्सानी बुलन्दी की मेराज है।

□□□

इदारा

मुख्य समाचार

बग़दाद में इन्तिहाई अलम्नाक सानेहा

हज़रत इमाम मूसा काज़िम अ0 के यौमे शहादत पर 1000 से ज़ियादा मोमिनों की शहादत

बग़दाद। इराक़ की राजधानी बग़दाद में काज़मैन मस्जिद के क़रीब इमाम मूसा काज़िम (अ0) के यौमे शहादत के जुलूस पर मोटार्ट हमलों के बाद भगदड़ मच जाने से हज़ार अफ़राद से ज़ियादा शहीद और सैकड़ों ज़ख़्मी हो गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की तादाद ज़ियादा है। बी0बी0सी0 के मुताबिक़ जिस वक़्त जुलूस पर मोटार्ट गोलों से हमला किया गया उस वक़्त हज़रत इमाम मूसा काज़िम (अ0) के यौमे शहादत के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस में शामिल लाखों अफ़राद रोज़–ए–अक़दस की तरफ बढ़ रहे थे। हमले के बाद जुलूस में ख़ुदकश हमला आवरों की मौजूदगी की अफवाह से लोगों में भगदड़ मच गयी और बहुत से लोग दरयाए दजला के पुल से दरयाए दजला में जा गिरे। इससे पहले जुलूस पर तीन अलग–अलग मोटार्ट हमलों में कम से कम सात अफराद मारे गये थे। इराक़ के प्रधानमंत्री इब्राहीम जाफरी ने इन हलाकतों के बाद मुल्क में तीन दिन के सोग का एलान किया। इब्राहीम जाफरी का जारी किया हुआ बयान पढ़ते हुए टेलीवीज़न पर एक एनाउन्सर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस हादसे के मुतास्सिरीन के लिए तीन दिन का सोग मनाने का एलान किया है। धमाकों के बाद हर तरफ क़यामत टूट पड़ी और बहुत से ज़ख़्मी औरतें और बच्चे चीख़ रहे थे। पुलिस के कमाण्डर बिग्रेडियर जनरल ख़ालिद हसन ने बताया कि यह लोग अलउम्मह पुल की रेलिंग टूटने के बाद भगदड़ मचने और नदी में गिरने से मारे गये। हसन के मुताबिक़ बड़ी तादाद में लोग दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़कें चौड़ी नहीं है, राहती कारकुनान को हलाक होने वालों और ज़ख़मियों तक पहुँचने में सख़्त दुश्वारी हो रही है।

टेलीवीज़न की तस्वीरों से मालूम होता है कि शीआ अक़ीदतमन्दों की बड़ी भीड़ ख़ादमिया मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। इमाम मूसा काज़िम (अ0) की शहादत 799 ई0 में हुई थी और उनको इसी मस्जिद में दफन किया गया था। अब उनकी तारीखें शहादत पर नज़राना–ए–अक़ीदत पेश करने के लिए शीआ वहाँ जा रहे थे। इस बार ये पहला मौक़ा है जब लाखों की भीड़ इकटठा हुई थी। जिस पर भगदड़ मची वह उस मस्जिद तक जाने का रास्ता है, सैकड़ों लोग दजला नदी में गिरे, दजला के पूर्वी किनारे पर ओहमिया का सुन्नी इलाक़ा है और पश्चिमी किनारे पर ख़ादमिया का शीआ इलाक़ा है।

यह ख़बर हर तरफ फैलने के बाद हज़ारों लोग दजला के किनारे पहुचे ताकि ज़िन्दा बच जाने वालों को तलाश कर सकें। नौजवान अपनी क़मीस उतारकर दरयाए दजला की पानी में कूद गये।

इराक़ में शहीद हुए मोमिनों के ईसाले सवाब के लिए नूरे हिदायत फाउण्डेशन में ताज़ियती जलसा

लखनऊ। क़ाएदे मिल्लते जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम वलमुस्लिमीन मौलाना सैय्यद कल्बे जवाद नक़वी साहब क़िब्ला (इमामे जुमा लखनऊ) के ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाले इल्मी और तहक़ीक़ी इदारे ''नूरे हिदायत फाउण्डेशन'' वाक़ेअ हुसैनिया गुफरान माआब लखनऊ के दफतर में इमाम मूसा काज़िम (अ0) के यौमे शहादत पर मुख़ालेफत, ज़ुल्म व जौर के सबब सैकड़ों अज़ादारों को बमबारी करके शहीद कर दिये जाने पर एक ताज़ियती जल्सा बाद नमाज़ मग़रिबैन मुबल्लिगे अफरीक़ा मौलाना सै0 तस्नीम महदी की सदारत मे हुआ। जिसमें सदरे मोअज़्ज़म के एलावा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुमताज़ जाफर नक़वी जाएसी, मौलाना मुस्तफा हुसैन नक़वी असीफ जाएसी, हैदर अली, मौलाना सैय्यद सुफ़यान नदवी, सैय्यद मुबश्शिर हसन जाएसी, इज़हार हुसैन नक़वी, मोहम्मद मुनीफ रिज़वी और मुहनदिस सरोश अकबर नक़वी साहेबान ने एहतेजाजी और ताज़ियती तक़रीरें कीं। तक़रीरों के ज़रिए मुसलमानाने हक़ के ख़ून से होली खेलने वालों के ख़िलाफ भरपूर ग़म व गुस्से का मुज़ाहेरा किया गया। साथ ही हज़रत वलीए अस्र (अ0) व मराजेअ एज़ाम और शोहदा के वरसा की ख़िदमत में ताज़ियत पेश करते हुए बराए तरहीम शहीदाने वफा, खुतबा व शुरका ने फातेहाख़्वानी की।

रूहानियत का ज़वाल अख़लाक़ी क़द्रों और वहदानियत से दूरी का नतीजा

अक़वामे मुत्तहेदा की चोटी कान्फ्रेंस की तक़रीर में ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेज़ाद की अमरीका पर शदीद नुक्ताचीनी

अक़वामे मुत्तहेदा। ईरानी राष्ट्रपति डाक्टर महमूद अहमदी नेज़ाद ने अमरीका को चौधराहट, अस्करियत और रियाअत दी जाने वाली हैसियत पर सख़्स नुक्ताचीनी की और अक़वामे मुत्तहेदा पर रूहानियत के बढ़ावे के लिए ज़ोर दिया। पिछले महीने अपना ओहदा सम्भालने के बाद अपनी पहली बैनुलअक़वामी तक़रीर में उन्होंने अक़वामे मुत्तहेदा के सामने ग़ैरमामूली तजावीज़ पेश कीं जिनमें यह सिफारिशें भी शामिल हैं कि इस आलमी इदारे को बैनुलअक़वामी सतह पर इन्साफ के एक इदारे की शक्ल देना चाहिए और इस बात को यक़ीनी बनाना चाहिए कि इसके अरकान को बराबर के हक़ हासिल हों। उन्होंने अक़वामे मुत्तहेदा की चोटी कान्फ्रेन्स से ख़िताब करते हुए कहा कि हमारे अहद का सबसे बड़ा मसला रूहानियत का बराबर ज़वाल है जो मौजूदा निज़ाम की अख़लाक़ी क़द्रों और वहदानियत से दूरी का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वामे मुत्तहेदा को रूहानी इक़दार के फरोग़ और इन्सानी दर्दमन्दी को फरोग़ देने के लिए आगे आना चाहिए।

डाक्टर अहमदी नेज़ाद ने अमरीका में ही जहाँ न्युयारक में अक़वामे मुत्तहेदा का हेडक्वार्टर मौजूद है, अमरीका पर नुक्ताचीनी करने में किसी पसो पेश से काम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ज़ियादा ताक़त और दौलत की बुनियाद पर अक़वामे मुत्तहेदा के किसी रुक्न को बहुत ज़ियादा इख़्तियारात हासिल नहीं होने चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेज़बान मुल्क को बाक़ी अरकान पर रिआयत और हुक़ूक़ के एतबार से कोई फौक़ियत हासिल नहीं होनी चाहिए।

जमहूरी इस्लामी ईरान के राष्ट्रपति ने चौधराहट, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तैयारी और इस्तेमाल, ज़ोरज़बरदस्ती का इस्तेमाल, ताक़त के इस्तेमाल की धमकी या उसका इस्तेमाल, चन्द मुल्कों की सलामती और खुशहाली के लिए लोगों पर तबाही वाली जंगें थोपने पर भी शदीद नुकताचीनी की। उन्होंने कहा कि अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताक़त है और अकेला मुल्क है जिसने ऐटम बम गिराया था। उसने 2003 में इराक़ पर हमला किया और अभी तक वहाँ लड़ाइयों में उलझा हुआ है।

मौलाना बिसमिल जाएसी की मजलिसे तरहीम

लखनऊ। ख़ानवाद–ए–सनदुल मुजतहेदीन के चश्मोचिराग़ मौलाना सैय्यद मोहम्मद नक़वी बिसमिल जाएसी मुतवफ्फा मंगल 2 अगस्त 2005 मुताबिक़ 26 जामादिस्सानी 1426 हि0 की मजलिसे तरहीम दारुस्सलामे हिन्द हुसैनिया हज़रत गुफरान मआब में बतारीख़ 4 सितम्बर 2005 मुताबिक़ 19 रजब 1426 हि0 बरपा हुई। मजलिस को ख़िताब करते हुए मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब ने जाएस के बाकमाल अफराद की जलालते इल्मी का बड़ी अक़ीदत के साथ तज़किरा फरमाया।

मुम्बई में मौलाना कल्बे जवाद साहब के बहनोई का इन्तेक़ाल

मुम्बई। जनाब अबुमोहम्मद ज़ैदी साहब के बेटे और आक़ाए शरीअत के दामाद जनाब सै0 अली ज़ैदी साहब का 17 सितम्बर 2005 मुताबिक़ 12 शाबान 1426 हि0 को मुम्बई में इन्तेक़ाल हो गया। मरहूम मिल्ली और मज़हबी मामलों में मसरूफ रहने वाले बाअमल इन्सान थे। इमामिया मस्जिद मुम्बई की तामीर भी मौसूफ ही की मेहनतों का फल है। अरकाने नूरे हिदायत फाउण्डेशन मरहूम के पसमन्दगान को ताज़ियत पेश करने के साथ अल्लाह तआला से सब्रे जमील की तौफीक़ अता फरमाने की दुआ करते हैं। और मोमनीन से फातेहाख़्वानी की दरख़्वास्त करते हैं।

बग़दाद सानेहा के ख़िलाफ बुश का पुतला नज़रे आतिश

लखनऊ। बग़दाद में इमाम मूसा काज़िम (अ0) के यौमे शहादत पर पेश आने वाले सानेहा पर शहर में मुख़्तलिफ जगह ग़म व गुस्से का इज़हार किया गया। आसफी इमामबाड़ा में एक ताज़ियती जलसे से ख़िताब करते हुए मौलाना कल्बे सादिक़ साहब ने कहा कि इतना बड़ा सानेहा यक़ीनन ग़म व गुस्से का सबब है। लेकिन हमें इस मौक़े पर सब्र से काम लेना होगा। उन्होंने लाशों पर सियासत करने वालों से होशियार रहने की अपील की। जलसे को जनाब सिबतैन नूरी साहब और मौलाना तक़ी साहब ने भी ख़िताब किया। इस मौक़े पर आसफी मस्जिद अहाता में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश का पुतला जलाया गया। इस सिलसिले में अक़लियती कमीशन के रुक्न मुश्ताक़ अहमद सिद्दीक़ी ने भी शदीद ग़म व गुस्से का इज़हार किया। इसके अलावह मुख़्तलिफ मक़ामात पर बग़दाद सानेहा के ख़िलाफ ताज़ियती जलसे हुए।